भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 338

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

प्रवासी कामगारों का सशक्तिकरण

***338. श्री कुलदीप इंदौराः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रवासी कामगारों को दीर्घकालिक सुरक्षा और विकास के अवसर सुनिश्चित करके सशक्त बनाने के लिए कोई नए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों के लिए और अधिक सुरक्षित एवं सहायक माहौल बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन्हें कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और उचित मजदूरी पाने में मदद करने के उद्देश्य से क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

"प्रवासी कामगारों का सशक्तिकरण" के संबंध में माननीय सांसद श्री कुलदीप इंदौरा द्वारा दिनांक 24.03.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 338* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): सरकार ने अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है जिसमें प्रवासी कामगारों की सेवा शर्तों और उनसे संबंधित मामलों के उपबंध किए गए हैं। अधिनियम में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले कुछ प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देने आदि के प्रावधान है। ऐसे प्रतिष्ठानों में नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक वस्त्र आदि उपलब्ध कराए जाने होते हैं।

इस अधिनियम को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में समाहित कर लिया गया है। ओएसएच संहिता में मार्यादित कार्य दशाएं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, प्रवासी कामगारों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है।

सरकार प्रवासी कामगारों सहित कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित करती है, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), जीवन और दुर्घटना बीमा के लिए क्रमशः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), पेंशन लाभ के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम), खाद्य सुरक्षा के लिए वन-नेशन-वन-राशन-कार्ड योजना, आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और कौशल विकास पहल के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शामिल हैं। रोजगार गारंटी के लिए महात्मा गांधी एनआरईजीएस में से कुछ का नाम लिया जा सकता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का, आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 13 योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैपिंग की गई है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) शामिल हैं।

ई-श्रम पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 7 जनवरी 2025 को भाषिनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता शुरू की है। इस बढ़ोतरी से अब कामगारों को 22 भारतीय भाषाओं में ई-श्रम पोर्टल के साथ पारस्परिक संप्रेषण करने, पहुंच में सुधार करने और सभी के लिए समावेशिता को बढ़ावा देना अनुमत हो जाता है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (स्किल इंडिया मिशन) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) जैसे विभिन्न योजनाओं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुन: कौशल और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का लक्ष्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार रहने और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को अधिनियमित किया है कि कामगारों को समुचित सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर से कम दर पर मजदूरी न मिले। अधिनियम में विभिन्न उद्योगों में अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाया गया है और मजदूरी संहिता, 2019 के तहत सम्मिलित कर दिया गया है। संहिता न्यूनतम मजदूरी को सभी रोजगारों में सार्वभौमिक रूप से लागू करती है।

*****